



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EU 186145

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद-हरदोई

द्वितीय पक्ष

मैसर्स साईनिर्मल एजेन्सी, मो० सरायमीरा तिवारिया, जनपद कन्नौज
मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक 12253, दिनांक 01.03.19 के अनुपालन में तथा सहमति पत्र दिनांक 28.03.19 के क्रम में यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण" के संचालन के संबंध में आज दिनांक 01.04.19 को जनपद हरदोई में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.19 से राज्य स्तर से प्राप्त होने वाले निर्देश/जिला स्वास्थ्य समिति के निर्णय/अग्रिम निविदा जो भी पहले हो तक होगी। उपरोक्त तीनों स्थितियाँ उत्पन्न न होने की दशा में अनुबन्ध दिनांक 31 मार्च 2020 तक अनुमन्य होगी, जिसको परिस्थितिनुसार विस्तारित किया जा सकता है।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्रों/जनपद के "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के अन्तर्गत 21 वाहनों (चार पहिया वाहन जैसे बोलरो, सूमो, मार्शल, स्कार्पियो आदि) को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित दर पर इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 में अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन में निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- अनुबन्ध/सेवा हेतु उपलब्ध कराये जा रहे वाहन वर्ष 2014 के पूर्व के न हो।
- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

21/04/19

[Signature]

[Signature]

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 500.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम एफ0 डी0 आर0 के रूप में पूर्व में प्रस्तुत धरोहर राशि ₹0-402570.00 जमा रखेगा जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के द्वारा प्रेषित जनपदीय कार्ययोजना के पत्रांक-6269-2, दिनांक 10.09.2018 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि ₹0-31950.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। राज्य स्तर से प्राप्त होने वाले निर्देश के अनुरूप अनुबन्ध में परिवर्तन किया जायेगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

13. निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

14. अनुबन्ध की शर्तों में परिवर्तन अपरिहार्य कारण से राज्य स्तर से प्राप्त होने वाले निर्देश/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करने हेतु दोनों पक्ष बाध्य होंगे।

15. आवश्यकता पडने पर कार्यक्रम के हित में वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है।

16. एक माह में (कम से कम आठ घण्टे प्रतिदिन पूरे माह तथा 1500 किलोमीटर प्रति माह) वाहन चलना अनिवार्य है, अन्यथा समानुपातिक दर से भुगतान किया जायेगा।

स्थान— हरदोई

दिनांक:

हस्ताक्षर..... Mune (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर..... 21.11.1992 (द्वितीय पक्ष)

गवाह

1.

2.

जकी शर्मा

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई ।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र० लखनऊ ।

पत्राक—

मु०चि०अ०/2019-20/2499 दिनांक 12/7/19

विषय—

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों की स्थिति की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्राक— एस०पी०एम०यू० /एन०एच०एम० /एम०एण्ड ई०/2019-20/30/3153-2 दिनांक 07.07.2019 के अनुपालन में वांछित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

सादर सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।

संलग्न—अनुबंध पत्र एवं वाहन सूचना।

भवदीय



मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई ।

कार्यालय का नाम-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई मानीटरिंग वाहन

क्र०सं०	विभाग कार्यालय का नाम	अनुबंधित वाहन नम्बर	ईंधन का प्रकार	वाहन चालू हालत में है या नहीं	वाहन भारी/हल्की मरम्मत में है	वाहन पर चालक की उपलब्धता	अभ्युक्ति
1	स्वास्थ्य विभाग	UP30 T 8615	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
2	स्वास्थ्य विभाग	UP30 AT 5847	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहिरोरी	UP30 AT 5607	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावन	UP30 AT 0518	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैहदर	UP30 AT 0303	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनरावन	UP32 JN 8715	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम	UP30 AT 5664	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुरसा	UP30 AT 3497	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
9	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद	UP30 AT 5626	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
10	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन्दीला	UP30 AT 0202	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
11	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साण्डी	UP30 AT 3779	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
12	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरियावा	UP30 AT 4674	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
13	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरखनी	UP30 AT 6720	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
14	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर	UP30 AT 2292	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
15	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी	UP30 AT 8554	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
16	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोडरपुर	UP30 AJ 0234	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
17	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिवावा	UP30 AB9377	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
18	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा	UP30 AT 0404	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
19	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माखीगंज	UP30 AT 1265	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
20	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काँना	UP30 T 8527	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-
21	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मत्तावा	UP30 T 0304	डीजल	चालू हालत में है	नहीं	है	-

None
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई